तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज एफएसएस एक्ट मु.स. 20/2016 महमूद अली बनाम रिखबदास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
27-03-2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पर शास्ति आरोपित की गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति संयुक्त निदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्त्तर हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 20/2016 2016/00080

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री रिखबदास पुत्र श्री मोतीलाल लखानी जाति लखानी– मैसर्स लखानी फ्लोर मिल, तेलीवाड़ा रोड़, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.03.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.10.2015 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स लखानी फ्लोर मिल, तेलीवाड़ा रोड़, बीकानेर (विक्रेता मालिक) श्री रिखबदास पुत्र श्री मोतीलाल लखानी तेलीवाड़ा रोड़ बीकानेर के यहां फ्लोर मिल का निरीक्षण करने पर 20 पोली पैक्ड थैलियां प्रत्येक पोली पैक्ड 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर (लखानी) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक लाल मिर्च पाउडर (लखानी) प्रत्येक 500 ग्राम की चार पोली पैक्ड नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 320/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द थैलियों में से एक सीलबन्द थैली मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/2589/Act/ 2015/2167 दिनांक 16.12.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें लाल मिर्च पाउडर (लखानी) मिसब्राण्ड पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा लाल मिर्च पाउडर (लखानी) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से लाल मिर्च पाउडर (लखानी) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Lal Mirch Powder" (Lakhani) bearing Code No. and Sr. No. AB-567 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां लाल मिर्च पाउडर (लखानी) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी अपनी छोटी सी फ्लोर मिल में मिर्च को साफ–सफाई कर पिसाई का कार्य करता है। अप्रार्थी की फ्लोर मिल से लिया गया नमूना खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों के अन्तर्गत समस्त पैरा मिटरस में शुद्ध पाई गई है। लाल मिर्च पाउडर केवल फूड सेफटी एण्ड स्टैण्डर्डस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेग्यूलेशन 2011 के नियम 245 (12) की गलत व्याख्या कर लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। जबकि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि लाल मिर्च पाउडर (लखानी) नमूने में कितना प्रतिशत एडिबल ऑयल था, बिना एडिबल ऑयल की मात्रा ज्ञात किये सैम्पल को मिसब्राण्ड बताया गया है। जो लोक विश्लेषक ने अपने पदीय कर्त्तव्य का पूर्ण जिम्मेदारी से पालन न कर गलत तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थी द्वारा लेबलिंग के सभी पैरामीटरस को कानून अनुसार पूरा जाता है तथा पिसाई से पूर्व साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखकर पैक्ड किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार लाल मिर्च पाउडर (लखानी) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है, मात्र पैंकिंग में मिसब्राण्ड स्तर पाया गया है। अप्रार्थी के यहां जो लाल मिर्च पाउडर (लखानी) विक्रय किया जा रहा था वह स्वास्थ्य के लिये किसी प्रकार का हानिकारक नहीं था और नाहीं ऐसी कोई शिकायत है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट संदेहास्पद होने के कारण उक्त प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज करने का आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक एल.एस. 2589/एक्ट/2015/2167/दिनांक 16.12.2015 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Lal Mirch Powder" (Lakhani) bearing Code No. and Sr. No. AB-567 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर (लखानी) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रू. 25,000/– अखरे पचीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थी पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner